<u>प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 61/2022)</u>

तत्काल प्रकाशन के लिए

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 का मसौदा जारी किया

नई दिल्ली, 9 सितंबर 2022- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 का मसौदा जारी किया है।

2. डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (डीआरएम) सिस्टम, डिजिटल मीडिया के लिए कॉपीराइट संरक्षण का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। डीआरएम का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के अनधिकृत पुनर्वितरण को रोकना और उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के तरीकों को प्रतिबंधित करना है। डीआरएम उत्पादों को व्यावसायिक रूप से विपणन सामग्री की ऑनलाइन चोरी में तेजी से वृद्धि के जवाब में विकसित किया गया था, जो पीयर-टू-पीयर फ़ाइल एक्सचेंज कार्यक्रमों के व्यापक उपयोग के माध्यम से फैल गया था। आम तौर पर, डीआरएम कोड को एम्बेड करके कार्यान्वित किया जाता है जो प्रतिलिपि को रोकता है, एक समय अवधि निर्दिष्ट करता है जिसमें सामग्री तक पहुंचा जा सकता है या मीडिया को स्थापित करने वाले उपकरणों की संख्या को सीमित करता है।

3. भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमन, 2017 [इसके बाद इंटरकनेक्शन विनियम के रूप में संदर्भित] को 03.03.2017 को अधिसूचित किया। इसका संशोधन (पहला संशोधन) प्राधिकरण द्वारा 30.10.2019 को अधिसूचित किया गया था।

4. लेखापरीक्षा नियमावली को तैयार करने के लिए किए गए परामर्श के दौरान कुछ टिप्पणियां और अवलोकन, इंटरकनेक्शन विनियमों की अनुसूची III में कुछ मुद्दों को दर्शाते हैं।

5. तदनुसार, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (संशोधन) विनियम, 2019 का मसौदा 27 अगस्त 2019 को जारी किया गया था जिसमें डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

6. इंटरकनेक्शन विनियमों की अनुसूची III, डीआरएम आधारित प्रणालियों की आवश्यकताओं/विनिर्देशों को प्रदान नहीं करती है। प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा नियमावली पर अपने परामर्श के दौरान यह प्रतिक्रिया प्राप्त की कि इसके लाभों के कारण आईपीटीवी आधारित डीपीओ, डीआरएम प्रौद्योगिकी पर स्विच कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा व्यवस्था डीआरएम आधारित नेटवर्क को शामिल करे और ऐसे ऑपरेटरों

के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करे। तदनुसार, ऊपर उल्लिखित प्रारूप विनियम दिनांक 27.8.2019 में अनुसूची III में डीआरएम विनिर्देशों को शामिल किया गया है।

7. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकरण को इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए। कई हितधारकों द्वारा कई संशोधन / परिवर्धन प्रस्तावित किए गए थे। इसलिए, प्राधिकरण की राय थी कि डीआरएम के लिए सिस्टम आवश्यकताओं को एक अलग परामर्श पत्र में संबोधित किया जाना चाहिए।

8. प्राधिकरण का विचार था कि "डिजिटल राइट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सिस्टम की आवश्यकताओं" से संबंधित मुद्दों पर, उद्योग के हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम की आवश्यकताओं' का मसौदा तैयार करने और प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए उद्योग के हितधारकों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया।

9. व्यापक विचार-विमर्श के बाद, समिति ने प्राधिकरण को इंटरकनेक्शन विनियमन की अनुसूची III में शामिल करने के लिए "डिजिटल राइट मैनेजमेंट (डीआरएम) के लिए सिस्टम की आवश्यकताओं" पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्राधिकरण समिति द्वारा किए गए व्यापक कार्य के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है।

10. तदनुसार, भादूविप्रा ने यह दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 का मसौदा जारी किया है।

11. मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

12. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 के मसौदा पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 7 अक्टूबर 2022 तक आमंत्रित की जाती हैं। प्रति टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, 21 अक्टूबर 2022 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां ईमेल:- advbcs-2@trai.gov.in तथा jtadv-bcs@trai.gov.in पर अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष संख्या: +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह./-
(वी रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा